

बिक्री के लिए दुकानें उपलब्ध

दुकान (फ्री होल्ड) - भक्त माता कर्मा परिसर, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर



दर प्रति वर्गफुट	संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफुट)	संपत्ति का मूल्य (रुपये में)
5,680 प्रति वर्गफुट	480 - 494	27,26,400 - 28,05,920

आवेदन की पात्रता : कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। सभी आयवर्ग, जाति और समुदाय के व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

पंजीयन राशि : ऑफसेट मूल्य का 10 प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार्य होगा

आबंटन: ऑनलाइन टेण्डर/निविदा के माध्यम से

आधिपत्य: रजिस्ट्री के पश्चात् कब्जा दिया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया : आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रायपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिशियल वेबसाइट <https://rda.cgstate.gov.in> पर जाकर पंजीयन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

- (1) आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर।
- (2) शपथपत्र 50.00 रु के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित हो, शपथ पत्र का प्रारूप रायपुर विकास प्राधिकरण के वेबसाइट में दिया गया है।
- (3) आवेदक का बैंक पासबुक या बैंक चेक डिटेल्स।
- (4) उपरोक्त सभी दस्तावेजों को pdf, jpg, jpeg या png फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फाइल साइज 150 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट : प्लॉट, दुकान तथा फ्लैट का आबंटन नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जाता है। कृपया दलालों से सावधान रहें और उनके जाल में ना फसें। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लॉट तथा फ्लैट दिलाने के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने पर उसकी शिकायत कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा परिसर, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 7224980800

वेबसाइट : <https://rda.cgstate.gov.in>

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे भूखण्ड/रो-हाऊस/दुकान/हॉल आबंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त सभी नियम/शर्तें मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मुझे समझा दी गई है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देता हूँ/देती हूँ
2. मैं भूखण्ड/रो-हाऊस/दुकान/हॉल का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु करूंगा/करूंगी।
3. निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर यदि प्राधिकरण द्वारा भारित अर्थदण्ड/जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तो उसे भुगतान करने हेतु बाध्य रहूंगा/रहूंगी।
4. मैं प्राधिकरण द्वारा रखरखाव शुल्क, जलकर एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मैं शासन/स्थानीय शासन/नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
6. भूखण्ड हेतु देय राशि का आबंटन आदेश अनुसार दिये गये समय पर भुगतान करूंगा, भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आबंटन निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ना ही किसी न्यायालय में इस संबंध में मेरे द्वारा कोई वाद संस्थित किया जावेगा।
7. मुझे नियम शर्तों की कंडिका क्रमांक 01 से लेकर 06 तक मान्य हैं तथा वह सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति

पता

.....

फोन नं. मो.नं.